संख्या– 3604/71–1–2020–जी– 103/2018

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2020**

विषयः उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती हेतु गाइड लाइन्स निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित चिकित्सा शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश में चिकित्सीय सेवाओं के जनहितार्थ आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी तैनाती की प्रकिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2– अतः शासन द्वारा सम्यक रूप से विचारोपरान्त उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती के संबंध में नीति–निर्धारण का निर्णय लेते हुए उसके कियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश पारित किए जाते हैः–

(1) चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती में सुगमता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नव–नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की प्रथम तैनाती तय करने हेतु उनके साथ व्यक्तिगत काउन्सिलिंग(In-person Counselling) करने का निर्णय लिया गया है।

(2) काउन्सिलिंग का अनुक्रम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रायोजित मेरिट सूची के आधार पर होगा।

(3) जिन चयनित अभ्यर्थियों के जीवनसाथी (पति/पत्नी) पूर्व से ही किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत हैं, वे अपनी योग्यता (संयुक्त मेरिट सूची) के आधार पर उपलब्ध किसी भी मेडिकल कालेज का चयन कर सकते हैं। पद की उपलब्धता के आधार पर उनकी तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

ऐसे अपवादिक (यदा–कदा) मामलों में, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके यथास्थिति पति अथवा पत्नी भी उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में सम्मिलित हैं, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग में पति/पत्नी में से उच्चतर कमांक के अभ्यर्थी के रैंक के अनुसार एक–साथ उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उनके द्वारा मेडिकल कालेजों में, पदों की उपलब्धता के आधार पर, तैनाती का चयन किया जा सकता है।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित तिथि व समय के अनुसार काउंसलिंग हेतु उपस्थिति नहीं होता है, उन्हें काउंसलिंग के अन्तिम दिवस को विचार किया जायेगा, जब आवंटित तिथि एवं समय पर उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूर्ण हो जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु बिल्कुल उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार तैनात किया जायेगा।

(5) अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दिवस को ही उनके द्वारा चयनित मेडिकल कालेज की पुष्टिस्वरूप पावती–प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(6) राज्य की तत्संबंधी निर्धारित सभी आवश्यक प्रकियाओं के पूर्ण होने पर ही शासन द्वारा काउन्सिलिंग के अनुसार ही इन चिकित्सा शिक्षका के तैनाती आदेश निर्गत किये जायेंगे। हांलाकि जनहित के दृष्टिगत राज्य की आवश्कतानुसार तैनाती शासन के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(7) राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान उनके द्वारा चयनित मेडिकल कालेज में सीधे तैनात किया जायेगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा परिभाषित/निर्धारित प्रारूप में प्राधिकार–पत्र के साथ, काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

(9) उपरोक्त दिशा–निर्देश प्रथम तैनाती हेतु समस्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

3– उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के संचालन सम्बन्धी दिशा–निर्देशः–

(1) विभिन्न विशिष्टताओं की काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के सम्बन्ध में समाचार–पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित/प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) सत्यापन हेतु वांछित मूल अभिलेखों की सूची भी वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी, जिन्हें काउंसलिंग तिथि को सत्यापित किया जायेगा। समस्त अभ्यर्थी द्वारा, अभिलेखों के सत्यापन हेतु समस्त मूल अभिलेखों के साथ 02 सेट छायाप्रति साथ में लाना आवश्यक होगा।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त स्थायी पता के आधार पर अभ्यर्थियों को स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड–पोस्ट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग हेतु आवंटित तिथि व समय के बारे में सूचित किया जायेगा।

(4) काउन्सलिंग एक से अधिक दिन भी चल सकती है। ऐसी स्थिति में आगामी काउन्सलिंग से पूर्व पिछली काउन्सलिंग में भरे पदों को हटाते हुए अवशेष रिक्त पदों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अंकित गाइड लाइन्स/दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही इस तथ्य का ध्यान रखा जाय कि शासन द्वारा निर्धारित उक्त गाइड लाइन्स/दिशा–निर्देशों का विचलन न हो।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– (1)/71–1–2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

(3) गार्ड बुक

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।